

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना-पत्र सं. 77/24	धारा अंतर्गत 212 RTA	ग्राम खातौली	तहसील छबड़ा
वादी मन्नालाल	वाद शीर्षक बनाम	प्रतिवादी मादो	

वकील :- श्री दौलतराम भीणा **आदेश पत्रक** वकील:-
दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

25.09.2024

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्घे सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 11.11.2024 को पेश हो।

11.11.24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपर। अप्रार्थीगण के वाद तलब सम्मन प्राप्त। वातजूड सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं है। इनके निरूपण के लिये कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वाद के दिनांक 26.11.24 को पेश हो।

26.11.24

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 10.12.24 को पेश हो।
by
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

10.12.24

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 28.1.25 को पेश हो।
by
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

29.1.25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपर। अप्रार्थीगण के वाद तलब सम्मन प्राप्त। वातजूड सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं है। इनके निरूपण के लिये कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वाद के दिनांक 4.3.25 को पेश हो।

4.3.25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपर। अप्रार्थीगण के वाद तलब सम्मन प्राप्त। वातजूड सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं है। इनके निरूपण के लिये कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वाद के दिनांक 4.3.25 को पेश हो।

नोट पेश
by